भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

ट्रस्ट डीड

A 928251

स्टाम्प 70/– रूपये

दशमेश एजुकेशन एंव अल्पसंख्यक चैरिटेबल ट्रस्ट, गुरू नानक पुरा, हॉसी (हरियाणा)

सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि मैं सरदार दर्शन सिंह उम्र लगभग 71 वर्ष निवासी गुरूनानक पुरा, जी.टी. रोड़, हॉसी तहसील हांसी जिला हिसार का हूँ । मैं स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक तथा जन हितार्थ गतिविधियों के विकास एवं विस्तार एवं संचालन, शिक्षा साहित्य, कला, शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य, पत्रकारिता, समाज सम्बन्धी तथा अन्य जनहितार्थ कार्यो हेतु एक अल्पसंख्यक धर्मार्थ, सामाजिक एवं एजुकेशनल, ट्रस्ट भारतीय संविधान आटिकल 30(1) के तहत की स्थापना हेतु अपनी स्वेच्छा से ट्रस्ट की स्थापना हेतु अपनी स्वेच्छा से ट्रस्ट कोष में 5100/– रूपये देकर ट्रस्ट की स्थापना करता हूँ । इसकी सम्पूर्ण जानकारी निम्न प्रकार से है –

प्रलेख नः 8196

दिनाँक 01/08/2011

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRUST
तहसील/सब-तहसील	हांसी
गांव/शहर	हांसी

धन सबंधी विवरण	
राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 5,100.00 रुपये	स्टाम्प डयूटी की राशि 70.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 1.50 रुपये
रूपये	

दीपक कुमार

यह प्रलेख आज दिनाँक 01/08/2011 दिन सोमवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी दशमेश एजुकेशन एव अल्पख्यक चैरिटेबल टरस्ट पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी हासी द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/ सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
हांसी

श्री दशमेश एजुकेशन एव अल्पख्यक चैरिटेबल टरस्ट thru सरदार दर्शन सिह(GPA)

उपरोक्त न्यासकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी न्यासी हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी चरणजीत सिह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री दर्शन सिह निवासी हासी व श्री/श्रीमती/कुमारी विजय कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी फुलचन्द निवासी भिवानी ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 01/08/2011

उप/ सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
हांसी

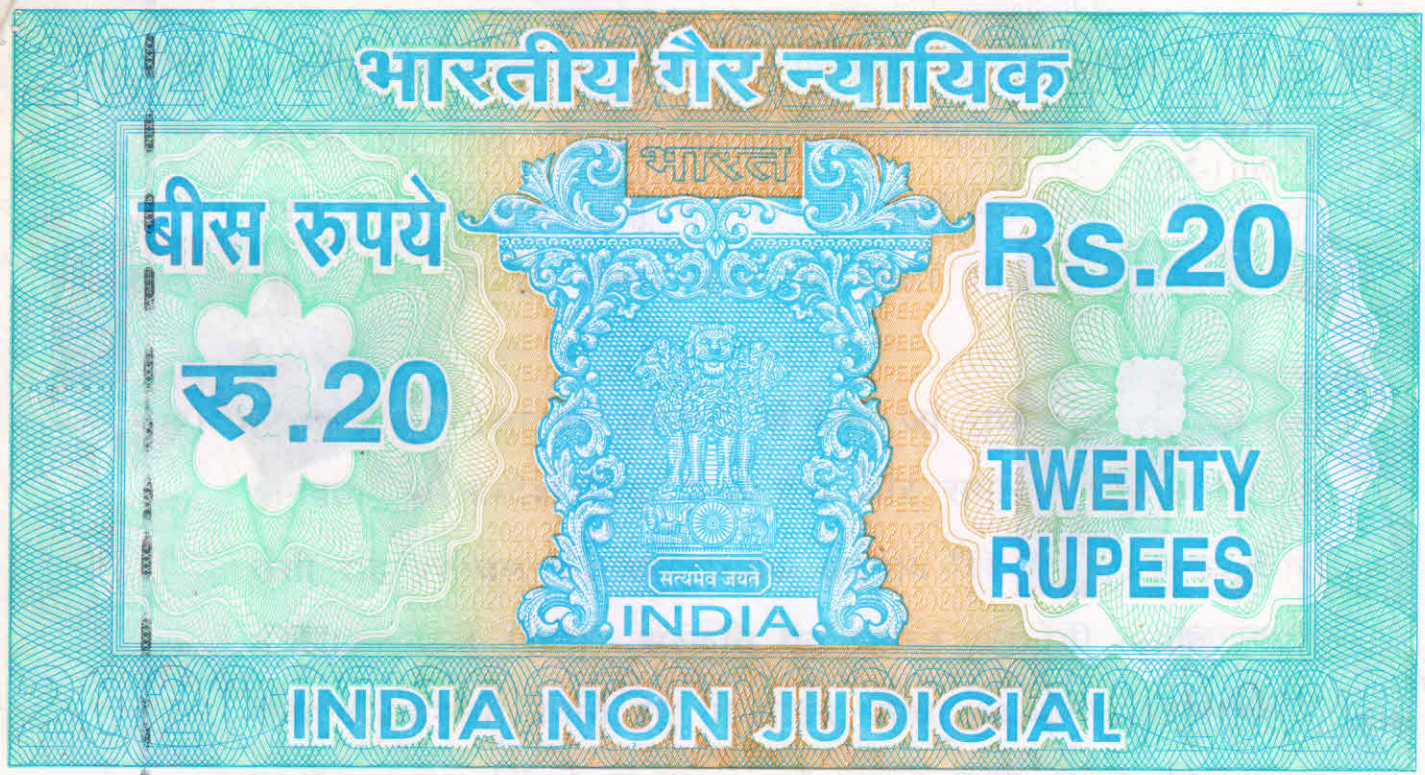

1. नामः

दशमेश एजुकेशन एंव अल्पसंख्यक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा ।

2. प्रमुख कार्यालय :–

ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय गुरूनानक पुरा, जी.टी. रोड़, हॉसी तहसील हांसी जिला हिसार (हरियाणा) में होगा । ट्रस्ट के ट्रस्टीयों को इसकी अन्यत्र शाखायें खोलने या अपने निर्णय के अनुसार स्थान आदि परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

3. ट्रस्ट का कोष

इस समय इस ट्रस्ट के कोष में मैं 5100/– रूपये देता हूँ और इसके अतिरिक्त भविष्य में जो भी वृद्धि होगी वह सब ट्रस्ट की सम्पति समझी जाएगी । इसके अतिरिक्त जो राशि ट्रस्ट के कोष हेतु प्राप्त होगी वह ट्रस्ट के कोष में वृद्धि करेगी ।

4. उद्देश्यः–

ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य व प्रयोजन होगे –

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
4196	2011-2012	1

न्यासकर्ता

गवाह

न्यासकर्ता

सरदार दर्शन सिह

न्यासी

गवाह 1:- चरणजीत सिह गवाह 2:- विजय कुमार

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 4,196 आज दिनाँक 01/08/2011 को बही नः 1 जिल्द नः 484 के पृष्ठ नः 50 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 2,779 के पृष्ठ सख्या 91 से 92 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

हांसी

दिनाँक 01/08/2011

(1) भारतीय अल्पसंख्यक नागरिको (सिखों) में सास्कृतिक, राष्टीय भावना एवं देश–प्रेम आपसी भाई–चारा बठाकर उन्हें योग्य एवं श्रेस्ठ नागरिक बनाने हेतू संस्था/ संस्थाओ का निर्माण करना जो शिक्षा, रोजगार पर शिक्षा, तकनीकि शिक्षा सहित श्रेस्ठ गुण पेदा कर सके ।

(2) सिखों देश–भक्ति एवं आजादी के लिए जो सर्घष किया गुरूओ ने मानवता का सन्देश दिया तथा देश और समाज को राह दिखाई उसी राह पर चल कर अल्पसंख्यक समुदाय "सिखों" को मुख्य धारा में लाकर उन्हें शिक्षा– सस्कृति एवं समाज उपयोगी बनाकर राष्ट्र सेवा में सहयोगी बनाने हेतू प्रोत्साहन, शिक्षा का प्रबन्घ तथा निर्धन, लाचार अनाथ सिखो के बच्चो को लागत–मूल्य अथवा निः शुल्क जो भी सम्भव हो उपलब्ध कराना । बिना भेदभाव के अल्पसंख्यक सिख लड़के– लड़कीयों को हर प्रकार से शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा रोजगार लायक कराना है ।

(3) समाज के अल्पसंख्यक सिखों को सम्पूर्ण भारत वर्ष में जहा ट्रस्ट उचित समझे शिक्षा सस्थान, तकनिकी शिक्षा सस्थान, सिलाई–कढ़ाई–बुनाई केन्द्र आई. टी. आई., पालिटैकनिक या अन्य शिक्षण अथवा समाज भलाई हेतू रोजगार परक कार्यकम, सस्थान आरम्भ करना, चलाना अथवा टेक ओवर करना शामिल होगा ।

(4) ट्रस्ट की जरूरोत तथा सस्थान खोलने के लिए मैं अपनी नेक कमाई से खरीद की हुई जमीन मु0 न0 436 किला नम्बरान 12,13/1, 13/2 एंव 14,16,17,18,19 20/1, 20/2 कुल तादामी 54–4 मरले वाकय हॉसी तहसील हांसी जिला हिसार (हरियाणा) ट्रस्ट को जमीन जितनी अपनी संस्था/संस्थान नियम अनुसार

आवश्यक हो दान करता हूँ ट्रस्ट जब चाहे अपने नाम अथवा अपने सस्थान के नाम जमीन उपरोक्त को महकमा माल अथवा जो भी सम्बधित विभाग है मे अपने नाम पर करवाए मैं नाम करवाने के लिए पाबन्द रहूगा, शर्त ये होगी की ट्रस्ट जमीन उक्त को बेचेगा नही तथा दूसरा के उपयोग के ईलावा अन्य किसी ट्रस्ट अथवा सस्था को विकय नही करेगा और ना ही दान करेगा । अगर ऐसा करेगा तो जमीन उक्त मेरे अथवा मेरे वासरान को वापिस मिलेगी और इस बाबत जो भी कानूनी कार्यवाही होगी उस पर होने वाले सारे खर्च ट्रस्ट वहन करेगा ।

(5) भारतीय नागरिको में श्रेष्ठ नागरिकता व भारतीय संस्कृति की भावना पैदा करने के लिए प्रयत्न करना ।

(6) शिक्षा के प्रसार हेतु स्कुल–कॉलेज, विश्वविधालय, पुस्तकालय, वाचनालय, शैक्षणिक व तकनीकी संस्थान, आई. टी. आई., जे.बी.टी., डी.एड., बी.एड., पालिटैक्निक. सिलाई केन्द्र, कम्प्युटर शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य रोजगार जैसे ANM, GNM, BSC Nursing, B. Tech., M.Sc. Fashion, LL.B. POLYTECHINIC, BBA, MBA, MCA, PGDCA, PGDM इत्यादी विभिन्न बाकी सभी प्रकार के शिक्षण आदि कोर्सो के लिए संस्थाओं को स्थापित करना एवं संचालन करना तथा ऐसी अन्य संस्थाओ की सहायता करना, किसी ऐसे चल रहे समिति संस्था या संस्थान का अधिग्रहण करना तथा उसकी व्यवस्था करना ।

(7) देश में शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु तथा अपने संस्थान हेतु Deemed University या university की मान्यता प्राप्त करना या स्वंय विश्वविधालय स्थापित करना ।

(8) विधा के प्रसार के लिए समय समय पर सेमीनार, भाषण प्रतियोगिता, सम्मेलन, प्रदर्शनी, विचार गोष्ठियॉ, वर्कशाप तथा अन्य आयोजन करना ।

(9) महापुरूषों व विश्व वन्दनीय पुरूषो की जयन्ती मनाकर उनके विचारों के प्रचार–प्रसारार्थ सार्वजनिक सभा, प्रवचन, अधिवेशन, कवि सम्मेलन, मेला व कार्यकमों का आयोजन करना ।

(10) विधार्थियो में नैतिकता, चरित्र निर्माण, देश–प्रेम, स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने हेतु उपाय करना ।

(11) कला, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, मानवता, कृषि, शरीरिक–मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र में, शोध कार्यो में विकास विस्तार या प्रसार के लिए शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना और इसके लिए शोधशाला, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र आदि की स्थापना करना, उनका संचालन व प्रबन्धन करना तथा विकसित राष्ट्र के लिए नैतिक तथा चारित्रिक शिक्षा का विकास करना ।

(12) जन साधारण हेतु विधालय, महाविधालय, विश्वविधालय, पुस्तकालय, वाचानालय, औषधालय, सिलाई केन्द्र, मन्दिर, धर्मशाला, योगसाधना ध्यान केन्द्र प्याउ आदि का निर्माण करना तथा उसका संचालन करना ।

(13) सम्पूर्ण मानव जाति के शैक्षणिक व बौद्धिक विकास तथा उत्थान हेतू प्रयत्न करना ।

(14) विधवा व असहाय स्त्रियों असहाय व अनाथ बच्चों, आश्रयहीन वृद्ध व्यक्तियों तथा योग्य छात्र–छात्राओं व गरीब कन्याओं के विवाह हेतु उचित सहायता करना व आश्रयहीन वृद्ध व्यक्तियो हेतु आश्रम

खोलना । इस प्रयोजन हेतु कोष की स्थापना करना, धन संग्रह करना तथा उसकी व्यवस्था करना ।

(15) विभिन्न बिमारियों मुख्यतः कैंसर, हृदय, दमा, आंखो व एड़स आदि के निसकरण हेतू कैम्प लगवाना व जरूरतमन्दों को दवाईयों की व्यवस्था कराना, मोबाईल व स्थाई डिस्पेन्सरी या अस्पताल का संचालन करना व बनवाना ।

(16) अकाल पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, भूकम्प पीड़ित, अग्नि या तूफान पीड़ित तथा आकस्मिक किसी भी तरह की दुर्घटनाग्रस्त लोगों की हर प्रकार से सहायता करना ।

(17) समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना ।

(18) चारित्रिक व समाज उत्थान सम्बन्धी प्रेरक पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन करना । उसकी व्यवस्था करना अथवा संग्रहालय बनाना ।

(19) उपरोक्त उद्देश्यों/कार्यो हेतू सहायता, चन्दा, अनुदान, ऋण इत्यादि किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, वित्तीय संस्थान या बैंक इत्यादि से प्राप्त करना ।

अन्य ऐसे सभी कार्य जिनका वर्णन ऊपर नहीं आया, परन्तू जो शिक्षा, समाज, कला–संस्कृति व जन कल्याणार्थ के लिए ट्रस्टीगण उचित समझें, कर सकते हैं।

5. बोर्ड आफ ट्रस्टीज –

ट्रस्ट का एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज होगा जिसकी संख्या कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक ग्यारह होगी । रिक्त स्थानो की पूर्ति समय–2 पर ट्रस्ट अपनी बैठकों में करता रहेगा ।

प्रारम्भ में मैं निम्नलिखित सात व्यक्तियों को मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में ट्रस्टीज नियुक्त हूँ ।

क. स.	नाम व पिता/पति का नाम	पता	उम्र	व्यवसाय	पद
1.	सरदार दर्शन सिंह पुत्र श्री मल्ला सिंह	गुरूनानक पुरा, जी.टी. रोड़, हॉसी	71	समाज सेवा	संरक्षक
2.	हरमिन्द्रर सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह	मुम्बई लोखड़ वाला	51	समाज सेवा	अध्यक्ष
3.	बलजीत सिंह पुत्र श्री सरदार दर्शन सिंह	मुम्बई लोखड़ वाला	52	समाज सेवा	उपाध्यक्ष
4.	गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सरदार दर्शन सिंह	जगत पुरा, जयपुर	38	समाज सेवा	सचिव
5.	कवलजीत कौर पत्नि श्री हरजीत सिंह	जगत पुरा, जयपुर	40	गृहणी	सहसचिव
6.	बलजीत कौर पत्नि श्री चरणजीत सिंह	गुरूनानक पुरा, जी.टी. रोड़, हॉसी	46	गृहणी	कोषाध्यक्ष
7.	चरणजीत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह	मुम्बई लोखड़ वाला	50	समाज सेवा	सदस्य

इन्हें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी समझा जायेगा ।

6– ट्रस्टीयों के कर्तव्य अधिकारः–

(1) ट्रस्ट की सम्पति की सुरक्षा करना, स्थायित्व व वृद्धि के लिए आवश्यक प्रयत्न करना ।

(2) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति, परिवार व्यक्तियों के समूह से नकद या चल–अचल सम्पति दान या चन्दे के रूप में स्वीकार करना तथा उस हेतू रसीद जारी करना ।

(3) ट्रस्ट की आय को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू खर्च करना ।

(4) ट्रस्ट पूंजी बढ़ाने हेतू जमीन, मकान, वाहन अथवा अन्य कोई वस्तु खरीदना, परिवर्तन करना अथवा विस्तार करने हेतू छोटी सम्पति को बेचना ।

(5) ट्रस्ट या उसके किसी भाग से सम्बन्धित दावा, झगड़ा, हिसाब–किताब, कर्जा, समझोता या फैसला स्वीकार करना या त्यागने का अधिकार ।

(6) ट्रस्टीयों की बैठक में अधिकृत/स्वीकृत बैंक, डाकखाना, वित्तीय संस्थान में खाता खोलना तथा उसका संचालन करना ।

(7) अचल सम्पति की मरम्मत करवाना, निर्माण करना, टैक्स भरना तथा इस हेतू आवश्यक सभी खर्चे करना ।

(8) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू समितियों व उपसमितियो का गठन करना, उन्हें कार्य विशेष पर आवश्यक धन खर्च करने का अधिकार देना । इन समितियों में ट्रस्टीयों से बाहर के व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया जा सकता है लेकिन समिति का सेयोजक कोई ट्रस्टी

ही होगा । ट्रस्टी बहुमत से, बनी हुई समिति को भंग भी कर सकते हैं ।

(9) ट्रस्ट के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी के खिलाफ कार्यवाही करना, उसे ट्रस्टीशिप से हटाने का निर्णय लेना ।

(10) कर्मचानियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन का निर्धारण करना व उनकी पदोन्नति करना ।

(11) ट्रस्ट की सम्पति को किराया, पट्टा या काश्त पर देना । किरायेदार या पट्टेदार से किरायानामा व पट्टानामा लिखवाना, दावा दायर करना, कोई दरखास्त आदि देना जिस पर ट्रस्ट की अध्यक्ष, महासचिव या अधिकृत ट्रस्टी ही हस्ताक्षर करेगा ।

(12) ट्रस्ट के हिसाब – किताब को आडिट करवाना तथा आडिटर की नियुक्ति करना ।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्यो और नियमों का पालन करना ।

(14) ट्रस्टीगण को अन्य सभी कार्य करने का अधिकार होगा जो आवश्यकतानुसार एवं व्यवहारिक रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतू करने जरूरी हों ।

(15) ट्रस्ट के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करना व नए ट्रस्टीयों की आवश्यकता अनुसार नियुक्ति करना ।

7– ट्रस्ट की सदस्यता मुक्ति –

निम्नलिखित हालात में ट्रस्टी बोर्ड की ट्रस्टीशिप से हट जायेगा और उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा ।

(1) अगर उसका देहान्त हो जाता है, या वो पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता अथवा किसी न्यायलय द्वारा उसका अपराधी घोषित कर दिया जाता है या वह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है । ऐसी हालत में उसकी मृत्यु तिथि, पागलपन, दिवालिया अपराधी घोषित होने की तिथि से या त्यागपत्र स्वीकृति की तिथि से ट्रस्ट की सदस्यता से अलग समझा जायेगा ।

(2) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कुल ट्रस्टीगण के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा हटाया जाना पानित करने पर, ऐसे में उन्हें कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा ।

रिक्त स्थानो की पूर्ति अन्य किसी योग्य व्यक्ति, जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होगी, लेकरए ट्रस्ट की बैठक में लिये निर्णय अनुसार की जा सकेगी ।

8– वर्ष –

ट्रस्ट वित्तीय वर्ष के अनुसार अपना कार्य करेगी। वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद अपने खातों का अंकेक्षण करवाकर अंकेक्षित रिपोर्ट ट्रस्ट की वार्षिक सभा में सभी ट्रस्टीयों के समक्ष रखेगा। आय–व्यय का हिसाब कोषाध्यक्ष के पास रहेगा ।

9– ट्रस्ट की बैठकें –

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की वर्ष में कम से कम दो साधारण सदन की बैठक होगी । जिसमें एक में वर्ष भर का आय–व्यय प्रस्तुत किया जायेगा । बैठक की अध्यक्षता – अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा । हांसी से बाहर रहने वाले ट्रस्टी अपना मत

लिखित मत लिखित रूप से (प्रोक्सी) बोर्ड के किसी भी ट्रस्टी के पक्ष में भेज सकेंगे ।

10— कोरमः

बैठक का कोरम कुल ट्रस्टीयों की संख्या का आधा होगा । आधा घन्टे बाद नोन कोरम बैठक भी वैध होगी लेकिन उसमें कोई विशेष निर्णय नहीं लिया जा सकेगा जो एजेण्डे में नहीं होगा ।

11— बैठक सूचना —

साधारणतः प्रत्येक बैठक को महासचिव बुलाएगा लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि कम से कम आधे ट्रस्टी लिखित में आवेदन देकर बैठक की कहते हैं तो महासचिव, अध्यक्ष की जानकारी से बैठक बुलायेगा । बैठक की सूचना निम्न समयावधि पर देनी होगी ।

1—	साधारण बैठक	—	एक सप्ताह
2—	विशेष बैठक	—	एक दिन
3—	आपातकालीन बैठक	—	3 घन्टे पूर्व

12— निर्णय विधि —

बैठक में उन्हीं विषयो जो एजेण्डे में है, उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार होगा ।

बैठक में प्रत्येक बात का निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होगा । अनुपस्थित ट्रस्टीयो द्वारा भेजी गई प्रोक्सी भी एक वोट के रूप में मान्य होगी । किसी विषय पर बराबर — बराबर मत होने पर

अध्यक्ष को निर्णायक वोट (कास्टिंग वोट) देने का अलग से अधिकार होगा ।

13– विशेष –

(1) ट्रस्ट के प्रत्येक दस्तावेज पर अध्यक्ष या महासचिव के हस्ताक्षर होंगे।

(2) ट्रस्ट के खिलाफ या ट्रस्ट द्वारा सभी मुकदमें दशमेश एजुकेशन एवम् चैरिटेबल ट्रस्ए हांसी के नाम पर किये जायेंगे ।

(3) ट्रस्ट के धन को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में स्वीकृत बैंक डाकखाने अथवा संस्थान में जमा करवाया जायेगा । ट्रस्ट के धन को किसी कार्य में लगाने से होने वाली आकस्मिक हानि के लिए कोई ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप में जुम्मेंवार नहीं होगा । जब तक वह नुकसान किसी के द्वारा जानबूझ कर नहीं किया गया हो ।

अध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकार –

(1) ट्रस्ट के प्रत्येक कार्य में रूचि लेकर ट्रस्ट द्वारा पारित उद्देश्यो और प्रयोजनों को पूरा कराना, ट्रस्ट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

(2) आवश्यकतानुसार विशेष बैठक बुलाने का निर्देश महासचिव को देना तथा चलती हुई बैठक को स्थगित करना ।

(3) प्रत्येक ट्रस्टी को आज्ञा से बोलने देना । आज्ञा उल्लंघन करने पर निष्कासन का आदेश देना ।

(4) ट्रस्ट के कार्यो हेतू एक बार में 10000/– रूपये करने का अधिकार रहेगा ।

उपाध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकार –

(1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वे समस्त कार्य करना जिनका अधिकार अध्यक्ष को है व उनके कर्तव्यों का भी पालन करना । लेकिन बैक, डाकखाने या वित्तीय संस्थान के खाता संचालन का अधिकार नहीं होगा ।

(2) अध्यक्ष को उनके कार्यो में मदद करना ।

(3) ट्रस्ट के कार्यो हेतू एक बार में 7500/– रूपये करने का अधिकार रहेगा ।

सचिव के कर्तव्य व अधिकार –

(1) सभी बैठके निकालना, उनकी सूचना सभी सदस्यों को देना । बैठकों का संचालन करना ।

(2) ट्रस्ट का रिकार्ड मीटिग व एजेण्डा रजिस्टर सुरक्षित रखना तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करना ।

(3) ट्रस्ट सम्बन्धी पत्र व्यवहार करना, कानूनी कार्यवाही करना, कोर्ट केस आदि करना व उसमें ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करना ।

(4) वार्षिक रिपोर्ट आय – व्यय आदि तैयार करके साधारण सदन में प्रस्तुत करना ।

(5) सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करना । बिलों के वाऊचर बनाना व भुगतान हेतु कोषाध्यक्ष को भेजना ।

(6) ट्रस्ट कार्यालय से सम्बन्धित सभी कार्यो का संचालन करना ।

(7) एक बार में ट्रस्ट के कार्यो हेतू 7500/– रूपये करने का अधिकार रहेगा ।

सहसचिव के कर्तव्य व अधिकार –

(1) सचिव की अनुपस्थिति में सचिव को वे सभी अधिकार प्राप्त होगें जो सचिव के खातों का सिवाय बैक, डाकखाने या वित्तीय संस्थान चलाने के अधिकार के प्रदत है ।

(2) सचिव के कार्य में मदद देना ।

कोषाध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार –

(1) ट्रस्ट की आय–व्यय का ब्यौरा रखना ।

(2) अध्यक्ष अथवा महासचिव द्वारा पारित किये गये बिलों का भुगतान करना ।

(3) 10000/– रूपये से अधिक नकद राशि को तीन दिन के अन्दर ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत बैंक आदि में जमा करवाना ।

(4) चन्दा या दान की रसीद देना उसका पूरा हिसाब रखना ।

(5) वार्षिक आय – व्यय तैयार करके अंकेक्षित करवाना तथा सचिव को देकर साधारण सदन में प्रस्तूत करना ।

सहकोषाध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार –

(1) कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सहकोषाध्यक्ष को वे सभी अधिकार प्राप्त होगें कोषाध्यक्ष को प्रदत है ।

(2) कोषाध्यक्ष के कार्य में मदद देना ।

विशषः– कोई भी उपरोक्त वर्णित पदाधिकारी निरन्तर दो बार से अधिक बार उसी पद पर निर्वाचित/नियुक्त नहीं किया जा सकेगा ।

ट्रस्ट की सम्पति –

जमीन वाम्य हॉसी तहसील हांसी जिला हिसार मु0 न0 436 किला नम्बरान 12,13/1, 13/2 एंव 14,16,17,18,19 20/1, 20/2 वाकय कुल तादामी 54–4 मरले में से जितनी भी भूमि स्कूल/कॉलेज अथवा शिक्षण सस्थान हेतू सरकार के नियामानूसार आवश्यक होगी उतनी भूमि मै ट्रस्ट उपरोक्त को दान करते है तथा ट्रस्ट उपरोक्त भूमि का वैध एवं कानूनी मालिक व काविज होगा तथा उपरोक्त भूमि का उपयोग केवल ट्रस्ट तथा ट्रस्ट संचालित सस्थाओं के लिए करेगा तथा ट्रस्ट भूमि उपरोक्त को न तो किसी ट्रस्ट–संस्था/व्यक्ति फर्म आदि को बेचेगा और न ही किसी को दान करेगा, ट्रस्ट इसका उपयोग स्वंय ट्रस्ट संचालित संस्था अथवा लोक–भलाई के लिए कर सकेगा यदि कभी उपरोक्त शर्तो का उल्घंन करेगा तो यह भूमि स्वंय हमारे पास आ जावेगी और इस पर हुए हर्जे खर्चे का जिम्मेदार ट्रस्ट होगा ।